BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Presentation of Eighth Report

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): Sir, I beg to present the Eighth Report of the Business Advisory Committee.

RESOLUTION RE. NATIONALISATION OF SUGAR INDUSTRY

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार से है :

> "यह सदन् सरकार से सिफ़ारिश करता है कि शक्कर के कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ।"

इस का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है उस को भी मैं पढ़ देना चाहता हूं :

> "This House recommends to the Government that the sugar industry be nationalised."

श्रीमान्, आप देखेंगे कि मेरा प्रस्ताव बहुत छोटा है । उस में बहुत ही कम शब्द हैं परन्तु उस का प्रभाव बहुत बड़ा है । हमारे इस देश में लगभग १०७ मिलें काम करती हैं और हमारे देश में लगभग एक करोड़ काश्तकार ऐसे हैं जो गन्ना पैदा करते हैं । उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं वहां पर अधिकतर देहातों में गन्ने की काश्त होती है । जैसे मैं ने कहा कि मेरा प्रस्ताव तो छोटा है मगर उस का प्रभाव बड़ा है और वह प्रभाव यह है कि यह जो हमारे काश्तकार हैं गन्ने के काश्तकार हैं, उन की जो मुसीबतें हैं, अगर राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए तो वे दूर हो जायेंगी ।

श्रीमान्, मैं उत्तर प्रदेश के जिस जिले खेरी से आता हूं उस में तीन चीनी की मिलें हैं जिन का कि गन्ने के काश्तकारों से काम पड़ता है ।

हमारे यहां गन्ने के काश्तकार इतने परेशान हैं कि उन्हों ने पिछले आम चुनावों में कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को न पार्लियामेंटरी सीट के लिये और न ही विधान सभा की सीट के लिये, कामयाब बनाया है । कांग्रेस की वहां पर असफलता का एक कारण था और वह यह कि काश्तकार जो लोग हैं वे वहां की गन्ने की मिलों से इतने परेशान हैं कि वे उन से त्राहि त्राहि कर रहे हैं ।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव का उत्तर देते समय यह कहेंगे कि सरकार की जो औद्योगिक नीति है वह इस प्रस्ताव के खिलाफ है, वह इस प्रस्ताव के हक में नहीं जाती है । लेकिन मैं अपने माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि उन की ही जो संस्था है और जिस के बल पर वह यहां बैठे हुए हैं, उस की नीति वही है जिस का प्रतिपादन इस प्रस्ताव में किया गया है । वह नीति यह है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सब की मिलकियत समाज के हाथ में होनी चाहिये ।

श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से कांग्रेस के उस प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जोकि कांग्रेस ने पास किया था । उस ने कहा था :—

> "योजना इस तरह बनाई जानी चाहिये कि एक ऐसी समाजवादी ढंग की व्यवस्था कायम हो सके कि जिस के उत्पादन के खास जरिये समाज की मिलकियत हो या समाज के काबू में हों और उत्पादन की रफ्तार बढ़ी हुई हों और राष्ट्र की दौलत का वाजिब बटवारा हो ।"

आप देखेंगे कि इस में साफ तौर से कहा गया है कि जो भी उत्पादन के साधन हों वे समाज के अधिकार में होने चाहियें । अंग्रेजी में उस का ट्रांसलेशन यह किया गया है :—

> "where the principal means of production are under social ownership"

[श्री स् शवक्स राय]

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैं ने रखा है उस के ज़रिये से मैं कांग्रेस को यह मौका देना चाहता हूं कि वह उस प्रस्ताव को जो उस ने अवाडी में स्वीकार किया था, अमली रूप दे ।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्हों ने किसी हद तक इस बात का वचन दे रखा है कि मुल्क के जो उत्पादन के साधन हैं उन पर समाज का अधिकार होना चाहिये, समाज का ओनरशिप होना चाहिये, समाज का स्वामित्व होना चाहिये । ६ नवम्बर, १९५४ को राष्ट्रीय विकास काउंसिल यानी नेशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल की एक बैठक हुई थी यहा दिल्ली में । उसमें हमारे नेता प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कहा था :—

"Any system which is based on what is called the acquisitiveness of the society is absolutely out of date. In modern thinking it is also considered immoral".

जो हमारी मिलें हैं वे अगर एक्विज़िटिवनेस में नही हैं तो मैं पूछना चाहता हूं तो किस आधार पर उन को आज रखा गया है ।

आगे चल कर २२ दिसम्बर, १९५४ को हमारे प्रधान मंत्री जी का भाषण कांग्रेस पार्टी की जो पार्लियामेंटरी पार्टी है, उस की किसी बैठक मे हुआ था । उसमे उन्होने कहा था :—

"A country cannot grow if it allows rigid structures That is why we have broken the zamindari structures. Similarly we have to break what might be called a capitalist structure".

यह बात जो अभी मैं ने आप से कही यह आवडी सत्र में जब समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ था उस से पहले एक मीटिंग हुई थी उस में प्रधान मंत्री जी ने कही थी । आवडी में जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था :—

The point is that we are tolerating something we want to push out.

जब प्राइवेट तथा पब्लिक सैक्टर की चर्चा हुई तो उन्हों ने कहा कि यह प्राइवेट सैक्टर की एक ऐसी चीज़ है जिस को हमें हटा देना चाहिये मगर यहा हम इस को टालरेट करते हैं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि शुगर के जो कारखाने हैं वे टालरेशन की जो सीमा है, उस से बाहर निकल गये हैं । मगर कांग्रेस के नेताओं ने किसी हद तक इस बात को मान लिया है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

इस के बाद २ मार्च १९५५ को फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक नई दिल्ली में हुई थी । उस के सामने भाषण देते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था :—

The words 'socialist pattern of society' have not been used as a slogan or a vote-catching device. We are committed to it and we shall go that way

मैं बहुत ही नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी समाज की रचना की जा रही है वह वोट कैचिंग स्लोगन नहीं है तो क्या है, वह एक नारा मात्र नही है तो क्या है, वह वोट पाने की एक तरकीब नही है तो क्या है । क्या वजह है कि हमारा जो वह प्रस्ताव है जोकि एक सीधा सादा सा है, उस को क्यो नही मान लिया जाता है ।

आगे चल कर उसी मीटिंग में उन्हों ने कहा था :—

But gradually what we should really aim at, whatever value we attach to our various sectors and aspects of

national activity is what is good from the people's point of view, what is good for the people as a whole and not a particular individual or group. If that is the test, then gradually the public and the private sectors will merge with each other.

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ये जो कल कारखाने हैं इन से जनता का हित नहीं होता है, ये जनता के हित में काम करने वाली संस्थायें नहीं हैं । ये अपना फायदा उठाने वाली संस्थायें हैं और इस तरह से आप चल नहीं सकते हैं । आप ने एक पंच वर्षीय योजना खत्म कर ली है और द्वितीय योजना पर आप काम कर रहे हैं । आप कहते हैं कि आप इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लेंगे यह बात तो आगे चल कर ही सिद्ध होगी कि आया यह सफलतापूर्वक समाप्त होती है या नहीं । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो योजना चल रही है, उस में ऐसे लोगों का स्थान कहां पर है जो दूसरों का शोषण करते हैं । आप देखिये कि ये जो शूगर के कारखाने हैं, वे काश्तकारों का शोषण करते हैं और उन को ऐसा करने का क्या अधिकार है । हम कहते हैं कि इस शोषण को हमें अवश्य मिटाना है, लेकिन इस को हम कहां मिटा रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है :—

What is good for the people and not a particular individual or group.

मैं ने शुरू में कहा था कि हिन्दुस्तान भर में इस तरह की कोई १६० के करीब मिलें हैं जहां पर अधिक शोषण हो रहा है । वैसे तो करीब २०४ मिलें हैं और उन में से करीब २६ मिलें काम नहीं कर रही हैं या उन्हों ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है । कुछ ऐसी भी मिलें हैं जो को-आप्रेटिव बेसिस पर चल रही हैं और फिलहाल मैं यह समझ लेता हूं कि इन कोआप्रेटिव मिलों में शोषण नहीं होता है । मगर इन के अलावा जो मिलें हैं जिन के मालिक कुछ खास व्यक्ति हैं या कुछ शेयरहोल्डर हैं, वहां पर तो अवश्य शोषण हो रहा है । मैं, श्रीमान्, आप के सामने यह बात रख चुका हूं कि किस तरह से वहां पर काश्तकारों का शोषण हो रहा है ।

श्रीमन्, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, उस पर मैं चाहता हूं कि खास तौर पर ध्यान दिया जाये । प्रधान मंत्री जी ने कहा है :—

We did not do it, I may tell you, as a vote-catching device, because if we did it, it would come back on us as a boomerang and crush us, if we did not follow it up. We have to follow it up.

मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं कि वह इस को फालो-अप करें और जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस को स्वीकार करें । इस चीज़ को प्रधान मंत्री जी साफ तौर से कह चुके हैं और अगर आप इस को नहीं मानते हैं और इस पर आप अम्ल नहीं करते हैं तो इस का असर आप पर बुरा होगा । मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों से वह पूरी तरह मेल खाता है । उन्हों ने आगे यह भी कहा :—

इस में वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं, और शूगर के जो कारखाने हैं उस के वेस्टेड इंटरेस्ट मिल मालिक हैं । अगर आप की उन्नति के मार्ग में यह लोग बाधक होंगे, तो आप को उन को हटाना पड़ेगा । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के जो भाषण हुए हैं उन से एक ही बात निकलती है और वह यह है कि आप को जनता का हित सामने रखना है और जिस बात में जनता का हित न हो, अगर उस में कुछ व्यक्तियों को नुक्सान भी हो, तो भी उस को आप को हटाना होगा । इस की आप को चिंता नहीं करनी चाहिए ।

मैं आप के सामने अपने कांस्टिट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखना चाहता हूं । डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी

[श्री खुशवक्त राय]

का जो चेप्टर है, उस में धारा ३९ को आप के सामने रखना चाहता हूं । मैं उस के ए पार्ट को नहीं पढ़ता हूं । केवल बी और सी भागों को पढ़ना चाहता हूं :

"(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;"

मैं यह कहना चाहता हू कि हम ने जो संविधान बनाया उसमें भी इस बात का खयाल रखा कि हम को ऐसी बात करनी है जिस में जनता का हित हो । जनता के हित के सामने अगर व्यक्तिगत स्वार्थ आते हैं, तो हम उन व्यक्तिगत स्वार्थों का खयाल नही करेंगे और जनता के हित की बात करेंगे । इसीलिये यह बातें डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रक्खी गई हैं । चीजों को देखने का आप का असली माप दंड, जिस को अंग्रेजी में यार्ड स्टिक कहते हैं, वह होना चाहिये कि उन से जनता का हित होता है या नही । मैं बतलाना चाहता हूं कि आज के दिन शक्कर के जो भी कारखाने हैं, उन से जनता का कोई हित नही है । इसलिये मै चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव को मान कर उस पर कार्यवाई की जाय ।

मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते मे दिक्कतें हैं, कठिनाइया हैं, मगर मुझ को विश्वास है कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को मान लेगा और उस पर अमल करना शुरू कर देगा तो जो कठिनाइया हैं वह हमारे सामन नही रहेंगी । मैं जानता हू कि आज मुआवजे की कठिनाई है, लेकिन क्या यह दूर नही की जा सकती ? हमारा संविधान सन् १९५० में बना, उस के बाद हम ने ७ संशोधन उस में किये हैं । मेरी जो किताब है उस में ७ दिये हैं, बाद में कोई संशोधन हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं है । तो यह बात नहीं है कि हम संविधान में संशोधन नही कर सकते हैं । इस में क्या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं मालूम देती है जिस में मुआवजे का प्रश्न हमारे सामने इस तरह से न रहे और हम उसे हल न कर सकें ?

हमारी शक्कर की जो मिलें हैं, उन के मालिक हमारी जनता का, विशेष कर गांव के काश्तकारों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, यह आप को मैं बतलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार मे और प्रान्तीय सरकारों ने ऐसे नियम बनाये हैं, जो रेगुलेशन्स कहलाते हैं, उन के अन्तर्गत कि जिन के अनुसार शक्कर के कारखाने जो हैं वह काश्तकारो का शोषण न कर सकें और उन को कठिनाई न पहुंचा सके । परन्तु देखना तो यह है कि जो कानून इस सरकार ने या प्रान्तीय सरकारो ने बनाये है उन से वह शोषण मिट सका है । मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हू । हमारे यहा जो मिलें हैं उन्हों ने एक ऐसा रवैया अपना रक्खा है कि वह केन कमिश्नर के स्टाफ को, ऊपर से ले कर नीचे तक, अपनी मुट्ठी मे कर लेते हैं । आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारे यहा एक मिल ऐसी है जिस ने हमारे यहां जो पहले केन कमिश्नर थे, रिटायर होने के बाद जो तन्ख्वाह वह पाते थे, उस से कही ज्यादा दे कर उन को अपने यहा रख लिया है । अब आप खुद सोचिये कि जब एक रिटायर्ड केन कमिश्नर एक मिल की नौकरी कर लेते हैं तो जो नये केन कमिश्नर होते हैं, जोकि पहले उन के मातहत काम कर चुके हैं, उन में कैसे यह जुर्रत होगी कि जो रिटायर्ड केन कमिश्नर मिल वाले की जेब मे हैं जो कुछ उन से कहे उस के खिलाफ वह कुछ कर सकें । हमारे यहा की मिलें अपना ऐसा प्रबन्ध करती हैं कि जिस से हमारे यहां का शूगर कंट्रोल ऐक्ट है, उस की कोई पाबन्दी न हो सके ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : वह अभी लागू नहीं होता ।

श्री खुशवक्त राय : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो अब खत्म करने वाले होंगे ।

श्री खुशवक्त राय : जी नहीं, अभी तो कम से कम १५ मिनट बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या सिर्फ आप ही बोलना चाहते हैं, किसी और से मदद नहीं लेना चाहते ?

श्री खुशवक्त राय : हजूर, दो घंटे का वक्त है, १५ मिनट में बोल लूंगा पौने दो घंटे और लोग बोल लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से तो आधे घंटे से भी ज्यादा हो जायगा । १५ मिनट आप को और चाहिये, और मिनिस्टर साहब आप के इतना वक्त तो लेंगे ही । इस तरह से और तो कोई बात ही बोल नहीं सकता । फिर अमेंडमेंट भी मूव होने हैं ।

श्री खुशवक्त राय : अमेंडमेंट तो एक ही है । उस को मैं मंजूर कर लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : रेजोल्यूशन को मूव करने वाले को आधा घंटा से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता ।

श्री खुशवक्त राय : मुझे तो अभी सिर्फ १५ मिनट ही मिले हैं, १५ मिनट और चाहता हूं । मैं ने सवा पांच बजे शुरू किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने २३ मिनट ले लिये हैं ।

श्री खुशवक्त राय : मैं सवा पांच से बोला हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कम से कम मेरे ऊपर तो एतबार कीजिये ।

श्री खुशवक्त राय : खैर यही सही ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा कि रूल्स के अनुसार रेजोल्यूशन को मूव करने वाले को ज्यादा से ज्यादा आध घंटा का वक्त मिल सकता है । आप के पास ७ मिनट और हैं, आप बोले ।

श्री खुशवक्त राय : मैं चाहता था कि मुझे ७ मिनट दूसरे दिन बोलने का मौका मिलता, अगर रूल्स मुझे परमिशन दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये तो ।

श्री खुशवक्त राय : आप मुझे ७ मिनट अगले दिन बोलने की इजाजत तो दे ही देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा जितना टाइम बाकी है उतना तो आप बोलिये ।

श्री खुशवक्त राय : मैं यह कह रहा था कि जो शोषण शक्कर मिल के कारखानेदारों की तरफ से होता है वह शुरू कैसे होता है । वह इस तरह से होता है कि शक्कर की मिलों का एरिया रिजर्व होता है और रिजर्व एरिया की मिलें कोशिश करती हैं, स्थानीय और अन्य अधिकारियों से मिल कर, कि उनका एरिया और बढ जाय, जोकि वह यह जानती हैं कि उन का जो कारखाना है, उस की यह क्षमता नहीं है कि वह अपनी एरिया का कुल गन्ना पेर सकें । फिर भी यह कोशिश करती हैं कि रिजर्व एरिया बढ़ जाये । जब रिजर्व एरिया बढ़ता है तो यह काम होता है सीजन शुरू होने के छः या सात महीने पहले । उस के बाद वह गन्ना लेते हैं । अब आप देखिये कि पिछले साल जो हुआ उस में भी उन लोगों से कम गन्ना लिया गया । किसानों से कहा जाता है कि तुम ने कम गन्ना दिया, इसलिये पिछले तीन साल में तुम ने जो गन्ना दिया है, उस के सट्टे के हिसाब से गन्ना लिया जायगा । वह यह नहीं करते कि जितना उन का रिजर्व एरिया है, उस का पूरा गन्ना वह लें । कानून तो यह कहता है कि एक कारखाने का जो रिजर्व एरिया होगा उस में जितना गन्ना होगा वह कारखाने

[श्री खुशवक्त राय]

को लेना चाहिये, मगर वह करते क्या हैं कि तीन साल के अन्दर जितना गन्ना उन को दिया गया है, उस के हिसाब से गन्ना लेते हैं ।

आप अब यह सोचिये कि एक किसान के लिये यह कितना मुश्किल होता है कि वह हर साल अच्छी ही खेती करे । उस के लिये यह मुश्किल होता है कि अगर एक साल उसने १०० मन गन्ना पैदा किया है, तो दूसरे साल भी वह १०० मन गन्ना पैदा करे । बीसियो बातें होती है—बीमारी है, जानवरो का मर जाना है, वक्त पर मजदूरो का न मिलना है—जिन की वजह से वह खेती नही कर पाता है और उस की खेती हर साल एक सी नही रहती है। वह कभी दो बीघे होती है, कभी पाच बीघे होती है और कभी सात बीघे होती है । इस अवस्था मे उस का बेसिक कोटा हर साल के हिसाब से, तीन साल के हिसाब मे पडते पर कैसे लिया जा सकता है ? उस का नतीजा क्या होता है ? नतीजा यह होता है कि काश्तकार परेशानी मे पडता है । जिस का गन्ना नही बिकता है, उस की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि वह रिश्वत देने के लिये तैयार हो जाता है और वह रिश्वत कामदार को, सोसायटी के अन्य कर्मचारियो को देनी पडती है, क्योकि वही तो परची काटते हैं । जितना उस का गन्ना होना है, जोकि कानून के मुताबिक भी लिया जाना चाहिये, वह नही लिया जाता है । इस के अलावा उस को मजबूर किया जाता है कि वह खुशामद करे, रिश्वत दे और ऐसे तरीके अख्तियार करे, जिस से उस का गन्ना लिया जाय ।

अब कीमतो की बात देखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य दो चार मिनट में खत्म कर दें, तो मैं हाउस से इल्तजा करूगा कि वह पाच मिनट के लिये और बैठ जाय ।

श्री खुशवक्त राय श्रीमन्, दस मिनट मुझ को और दे दिये जायें । सदन के सामने बोलने का यह मेरा पहला मौका है ।

उपाध्यक्ष महोदय आप पाच सात मिनट बोल लें ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): The hon Member should continue next time

श्री खुशवक्त राय श्रीमन्, सदन की यही राय है कि मुझे दस मिनट अगले दिन मिल जाये ।

Mr. Deputy-Speaker: The House will now stand adjourned till 11 o'clock tomorrow

17 33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 31st August, 1957